उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या:15/2022/04/ 1589512/12-2099/4/2022
लखनऊ: दिनांक: 14 मार्च, 2022

कार्यालय-आदेश

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी (NMAET) के अन्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-89-केन्द्र प्रयोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8904-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी के अन्तर्गत धनराशि रू. 2258.45 लाख (बाइस करोड़ अट्ठावन लाख पैंतालिस हजार रूपये मात्र) के राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग (बी0एम0-9 संलग्न) के माध्यम से श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

मानक मद का नाम	निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति (लाख रू. में)
27-सब्सिडी	2258.13
42-अन्य व्यय	00.32
योग	2258.45

1. वर्तमान में प्रदेश में विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022 हेतु आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत प्रकरण में वर्तमान में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो, कृषि निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाएगा।
2. योजनान्तर्गत प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति का आहरण एवं व्यय योजना विषयक भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जाएगा।
3. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
4. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जाएगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकता अनुसार आहरित कर व्यय की जाएगी।
6. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।
7. स्वीकृत धनराशि के व्यय के पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनॉक 22 मार्च, 2021 में दिये गए दिशा-निर्देशों का पूर्णतया: अनुपालन सुनिश्चित किया जाए,

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, अनुदान संख्या- 011 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-89-केन्द्र प्रयोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8904-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी के अन्तर्गत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के मानक मद-27-सब्सिडी/42-अन्य व्यय के नामे डाला जाएगा।

संलग्नक: यथोपरि।

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या:15/2022/04/ 1589512/12-2099/4/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: अभि0/1716/एस0एम0ए0एम0-लेखा/2021-22, दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 के संदर्भ में,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
5. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ:बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) वित्तीय वर्ष 2021-22

प्रपत्र बीएम-9

धनराशि (लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त संक्रमण धनराशि
1	2	3	4	
अनुदान संख्या-011 24 01 00 109 01 01 2401-फसल कृषि कर्म 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 0101-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टैक्नालॉजी				
27-सब्सिडी	20110.61	2258.13	2258.13	
42-अन्य व्यय	10026.32	0.32	0.32	
योग	30136.93	2258.45	2258.45	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त संक्रमण
7	8	9	10	
अनुदान संख्या-011 24 01 00 109 89 04 2401-फसल कृषि कर्म 109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 89-केन्द्र प्रायोजित योजनायें का संगत राज्यांश 8904- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी के अन्तर्ग्रत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन				
27-सब्सिडी	0.00	2258.13	2258.13	
42-अन्य व्यय	0.00	0.32	0.32	
योग	0.00	2258.45	2258.45	
(बाइस करोड़ अट्ठावन लाख पैंतालीस हजार रूपये मात्र)				

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है:-

अ- केन्द्र पुरोनिधानित योजना में भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में योजना का संचालन पी0एफ0एम0एस0 से किए जाने के फलस्वरूप नवसृजित लेखाशीर्ष में राज्यांश का प्रावधान कराये जाने के कारण बचत है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

ब- भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में एस0एम0ए0एम0 योजना के संचालन हेतु भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किए जाने के फलस्वरूप नवसृजित लेखाशीर्ष में केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश का प्रावधान कराए जाने के कारण।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आरई/450//दस-2022 दिनॉक 04 मार्च, 2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

http://sevasanadesh.up.gov.in

(राधेश्याम)
यादव)
उप सचिव, कृषि विभाग
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।
प्रदेश शासन।

(फूलचन्द
अनु सचिव,
उत्तर

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या: 1589512/12-2099/4/2022
लखनऊ: दिनॉक 14 मार्च, 2022

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 की तीन प्रतियों सहित),
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1,
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in